न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/612

1. गोपाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. कालू पुत्र स्व0 गोपाल
   1/2. राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र स्व0 गोपाल जाति माली निवासीगण ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. गणेश (मृतक जरिये कायममुकामान :–
   2/1. श्रीमती फूला बाई बेवा स्व0 गणेश आयु 65 वर्ष ।
   2/2. जगदीश प्रसाद आयु 46 वर्ष पुत्र स्व0 गणेश ।
   2/3. सन्तोष बाई आयु 40 वर्ष पुत्र स्व0 गणेश
   2/4. राकेश सुमन आयु 34 वर्ष पुत्र स्व0 गणेश जाति माली निवासीगण ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. देवी लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. श्रीमती गुलाब बाई आयु 60 वर्ष विधवा पत्नी स्व0 देवीलाल ।
   3/2. मुकेश आयु 37 वर्ष पुत्र स्व0 देवीलाल ।
   3/3. राजू आयु 32 वर्ष पुत्र स्व0 देवीलाल ।
   3/4. दिनेश आयु 28 वर्ष पुत्री स्व0 देवीलाल जाति माली निवासीगण बाडी भीमपुरा कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   3/5. गिरजा आयु 25 वर्ष पुत्री स्व0 देवीलाल जाति माली निवासी मालियों का मोहल्ला अन्ता जिला बारां ।
4. मोहन लाल पुत्र भंवर लाल ।
5. बाबू लाल पुत्र भंवर लाल जाति माली निवासीगण कच्ची बस्ती भीमपुरा रोड कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. भरोसी बाई पुत्री भंवर लाल पत्नी रामचन्द्र जाति माली निवासी हनुमान जी के मंदिर के पास भोई मोहल्ला गुमानपुरा, कोटा ।

बनाम

1. मांगीलाल आत्मज रामरतन जाति माली निवासी ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवासी मकान नम्बर अमर सिंह का पुराना गुरूद्वारा के पास कोटडी, कोटा।
2. श्रीमती गणपति बाई (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. नाथू लाल पुत्र गणपति बाई पत्नी गोपाल ।
   2/2. किशन अवतार पुत्र गणपति बाई पत्नी गोपाल ।
   2/3. नाथी बाई पुत्री गणपति बाई पत्नी गोपाल ।
   2/4. ग्यारसी बाई पुत्री गणपति बाई पत्नी गोपाल ।

2/5. गोपाल पुत्र कंवरा जाति माली निवासीगण आंवा तहसील सांगोद जिला कोटा
3. गोपाली पुत्री रामरतन जाति माली पत्नी छोटू लाल निवासी मालियों के मंदिर के पास नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. शान्ति बाई पुत्री भंवर लाल पत्नी प्रकाश जाति माली निवासी थोका जी के मंदिर के पास, सांगोद जिला कोटा ।
5. महावीर पुत्र दुर्गाशंकर
6. जसवन्त पुत्र दुर्गाशंकर
7. बेबी बाई पत्नी प्रकाश
8. लक्ष्मी बाई पत्नी बनवारी जाति माली निवासीगण बस स्टेण्ड के पास नयापुरा, कोटा।
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्याम लाल सुमन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 30.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में कुल किता 11 की रकबा 4.64 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 से 8 के सहखातेदारी में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 1/3 हिस्सा निहित है । वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त हैं । प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ जाने के कारण उन्होंने वादीगण के हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजी जो खसरा नम्बर 1279 रकबा 1.66 हैक्टर जो पारिवारिक बंटवारे में उनके पिता को प्राप्त हुई थी पर कब्जा करने का प्रयास किया । प्रतिवादीगण ताकतवर व्यक्ति हैं । प्रतिवादीगण को वादीगण को उनके हिस्से एवं कब्जे की भूमि से बेदखल कर कब्जा करना चाहते हैं । वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवायें और अपने हिस्से में प्राप्त होने वाली को पृथक से अपने खाते दर्ज करावें ।

3. अतः वादग्रस्त आराजी में वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर पक्षकारान के मध्य विभाजन की किया जाकर पृथक से लगान राज कायम किया जावे और उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण को प्राप्त उनके हिस्से की आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादीगण क्रम 01 से 08 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि रामरतन पुत्र रामचन्द्र जी ने अपने हिस्से की आराजी दिनांक 12.04.68 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान कर दी तथा अन्य सहखातेदारान के पक्ष में एक तहरीर भी आलेखित कर दी कि मैं मेरे हिस्से की जमीन को बेचान कर चुका हूँ , मेरे हिस्से की डेढ बीघा भूमि शेष रही है जो मांगीलाल के कब्जे में है । वादीगण के पिता द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान करने से वादीगण का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे ।

5. तत्पश्चात् प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 08 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

6. प्रतिवादी क्रम 09 से 12 ने इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 18.05.2017 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर दावा वादी डिक्री कर दिया ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का पूर्व में ही पक्षकारों के मध्य बंटवारा हो गया था । बंटवारे के बाद वादीगण के पिता ने अपने हिस्से की आराजी का रजिस्टर्ड बेचान से बेचान कर कब्जा संभला दिया । वादग्रस्त आराजी में वादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की थी परन्तु निर्णय तकनीवार पारित नहीं किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय लोक अदालत में एकपक्षीय रूप से पारित कर दिया । इसलिए उक्त निर्णय की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.11.2017 को पटवारी हल्का द्वारा मौके पर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने आने पर हुई जिस पर दिनांक 24.11.2017 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

10. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

11. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि संयुक्त खाते की आराजी में पूर्व में मौखिक बंटवारा हो चुका है और पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त थे । वादीगण के पिता रामरतन के द्वारा अपने हिस्से की आराजी प्रतिवादीगण की सहमति से बेचान कर दी थी । रामरतन के द्वारा अपने हिस्से की आराजी अपने जीवनकाल में ही विक्रय कर दी थी और एक तहरीर इस आशय की लिखी थी कि – "मैने मेरा हिस्सा विक्रय कर प्रतिफल प्रापत कर लिया है और शामलाती खाते में अब मेरा कोई हिस्सा नहीं रहा है । मात्र डेढ बीघा पीवत की जमीन के अलावा कोई भूमि शेष नहीं रही है" । रामरतन जी जब तक जीवित रहे तब तक उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसान की नीयत में बदयान्ति आ जाने से दावा पेश किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित कर दावा डिक्री किया है । तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

12. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते की है जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा निहित है जिसका विभाजन कराने के लिए दावा पेश किया गया था । आराजी संयुक्त खाते की थी और जो आराजी बेचान की गई है वह समस्त सहखातेदारों के द्वारा की गई थी । वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 1/3 हिस्सा निहित है था । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 बहाल रखा जावे ।

13. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

14. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली बहस में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया है । प्रकरण में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की गई थीं जो पृष्ठ संख्या 60 पर संलग्न है । परन्तु निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया गया है जबकि सीपीसी की पालना में तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को बहस का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 18.12.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा